बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 107 दिनांक 12/8/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बड़ियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,
सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

विषयः–**बिहार प्रशासनिक सेवा का सेवा सम्वर्ग का पुर्नगठन करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए दि0 15.06.08 को बिहार प्रशासनिक सेवा की आम सभा में आपके द्वारा 'बासा' से एक प्रस्ताव का प्रारूप देने हेतु इच्छा व्यक्त की गयी थी। जिसके प्रसंग में इस पत्र के साथ पुनर्गठन हेतु एक प्रस्ताव सलंग्न कर विभाग को देते हुए आपका ध्यान निम्नलिखित विन्दूओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

1. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रथम नियुक्ति अनुमंडल स्तर से प्रारंभ की जाय, अर्थात बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित नहीं किया जाय।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रथम नियुक्ति के बाद अनुमंडल स्तर से पद का चिंहितीकरण किया जाय। वर्तमान में सेवा में मूल कोटि के पदाधिकारियों को शिघ्रातिशीध्र 8000–13500 रू0 के वेतनमान स्वीकृत कर अनुमंडल/अनुमंडलीय स्तर के अन्य कार्यालयों में पदस्थापित किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6070 दि0 04.06.08 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों का चिंहितीकरण किया गया है। उक्त संकल्प द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष पदों के कोटि में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन तथा निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के पदों को रखा गया है। संघ इन दोनों पदों को पूर्व की भांति अपर समाहर्त्ता कोटि के पदों के रूप में चिंहित करने का अनुरोध करती है।

4. उपविकास आयुक्त के पद को अपर समाहर्त्ता कोटि के रूप में चिंहितीकरण किया गया है। संघ का यह प्रस्ताव है कि क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे तथा राज्य के सर्वागीण विकास हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपने अनुभव का जो ज्यादा दिन तक सेवा करने के बाद अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है, का लाभ राज्य सरकार को दे सकें। अतएव पूर्व की भांति संयुक्त सचिव स्तर के कोटि के पद को उपविकास आयुक्त के सभी 38 पदों का चिंहितकरण किया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :............................ दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
★ शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

★ अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
★ राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

★ अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

5. संघ ज्ञापांक 6183 दिनांक 6–6–08 द्वारा गठित समिति से मुख्य अनुरोध यह है कि राज्य सरकार के समक्ष ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को अवरूद्ध प्रोन्नति निश्चित वर्ष में हो। पूर्व में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार के साथ हुए समझौते के अनुरूप विशेष सचिव का 16 तथा अपर सचिव का 11 पद बिहार प्रशासनिक सेवा को चिंहित कर अधिसूचना ज्ञापांक 2632 दिनांक 31–3–99 के द्वारा अनुमान्य किया गया है, उसे पुर्नस्थापित किया जाय तथा विशेष सचिव का 10 पद एवं अपर सचिव का 16 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए अनुमान्य किया जाय ।

6. अब तक अपने सेवा काल में बहुत कम संख्या में पदाधिकारी संयुक्त सचिव तक प्रोन्नति पाते हैं।

7. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को वर्षों से यह मांग रही है तथा सरकार से सहमति भी बनी थी कि जिला पदाधिकारी का 5 पद बिहार प्रशासनिक सेवा से भरें जायेंगे। दिनांक 29–3–99 को बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री विजय शंकर दूबे तथा बिहार के वित्त आयुक्त एवं कार्मिक सचिव के द्वारा 'बासा' से समझौता भी हस्ताक्षरित हुआ था, परन्तु आज तक इस समझौते का क्रियान्वयन भी नहीं हो सका है, 3 संघ की यह मांग है कि जिला पदाधिकरी का 5 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव के पदाधिकारियों को प्रस्तावित 16 पद के अतिरिक्त 5 पद और दिया जाय। यानि अपर सचिव कोटि के 21 पद इस सम्वर्ग को उपलब्ध करा दिया जाय तथा विशेष सचिव का 10 पद दिया जाय।

8. उपर्युक्त विन्दुओं के अतिरिक्त वर्तमान में चिंहित 3 निदेशक के पद जो वेतनमान् 16400–20000 में चिंहित किया गया है, उक्त 3 पद को वेतनमान् 18400–22000 के वेतनमान में विभागाध्यक्ष और राज्य सरकार के उपक्रमों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में 6 पदों को चिंहित किया जाय।

विश्वासभाजन

12/8/08

(ए0 सी0 मिश्र)

अध्यक्ष